झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

—:: अधिसूचना ::—

13/5/15
राँची, दिनांक—

संख्या—15/सा०अव०(निर्वा०)—03—02/2015 का०—4282(अ)/ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा—575 के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान है। उक्त धारा निम्नवत् है:—

(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में योजित और राज्य की नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार प्रदान किए गए अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जाएगी, और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर योजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी सधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जाएगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किए जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधो का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, जुर्माना से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा ऐसे किसी निर्वाचक पर लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति उस योजन की बावत खतरा या सारभूत हानि पहूँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।

उक्त प्रावधानों के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक— 03नि०/न०—82/2015 रा०नि०आ०—1066, दिनांक—04.05.2015 के द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित हैं:—

(क) अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुपालन में मतदान के दिन अर्थात् 26.05.2015 (मंगलवार) को संबंधित नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे (परिशिष्ट—'क')।

(ख) कभी—कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर नगर निकाय क्षेत्र में निवास करता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता भी हो, परन्तु वह नगर निकाय क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो या अपनी सेवाएँ दे रहा हो, तो उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वैसे कामगार जो Casual worker के रूप में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के संस्थान, प्रतिष्ठान आदि में कार्यरत हैं, एवं यदि वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, तो उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590(3)(क) के तहत सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जाएगी।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के अनुसार Daily Wage/Casual Workers को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

सभी संबंधित प्राधिकार को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 575, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B(1) एवं राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पत्रांक–1066 दिनांक–04.05.2015 के द्वारा संसूचित दिशा–निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

13/05/15

(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–15/सा०अव०(निर्वा०)–03–02/2015 का० –4282(M)**/ राँची, दिनांक–** 13/5/15

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

13/05/15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–15/सा०अव०(निर्वा०)–03–02/2015 का० –4282(M)**/ राँची, दिनांक–**13/5/15

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के झारखण्ड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक/उप प्रबंधक/भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, राँची/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आकाशवाणी, राँची/दूरदर्शन, राँची/सभी इन्स्योरेंस कम्पनी, राँची/मंडल रेल प्रबंधक, द०पू० रेलवे, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/05/15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–15/सा०अव०(निर्वा०)–03–02/2015 का० –4282(M)**/ राँची, दिनांक–**13/5/15

प्रतिलिपि– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1066 दिनांक–04.05.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/05/15

सरकार के अवर सचिव।

(परिशिष्ट–'क')

नगरपालिका निर्वाचन, 2015

क्रं० सं०	जिला का नाम	नगर निगम/नगरपालिका का नाम	
		आम निर्वाचन, 2015	उप निर्वाचन, 2015
(i)	बोकारो	चास नगर निगम	नगर परिषद् फुसरो (वर्ग–ख) वार्ड नं०–28
(ii)	धनबाद	धनबाद नगर निगम	
(iii)	देवघर	देवघर नगर निगम	
(iv)	पश्चिमी सिंहभूम	चक्रधरपुर नगर परिषद् (वर्ग–ख)	
(v)	गढ़वा	मझिआँव नगर पंचायत	
(vi)	पलामू	विश्रामपुर नगर परिषद् (वर्ग–ख)	मेदिनीनगर नगर परिषद् (वर्ग–ख) वार्ड नं०–26
(vii)	कोडरमा	झुमरीतिलैया नगर परिषद् (वर्ग–ख)	
		कोडरमा नगर पंचायत	
(viii)	राँची		राँची नगर निगम वार्ड नं०–39
(ix)	जामताड़ा		नगर पंचायत मिहिजाम वार्ड नं०–04
(x)	सरायकेला–खरसावाँ		नगर परिषद् आदित्यपुर (वर्ग–क) वार्ड नं०–09